

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

आदेश

पत्रांक 369/808

पटना दिनांक 11/02/2025

ग्रा०वि०- 08 लोकपाल (अवधि विस्तार) 07/2023

श्री राजीव नयन, निवर्तमान लोकपाल, नवादा को उनके कार्यकाल की दो वर्षीय एवं प्रथम एकवर्षीय अवधि पूरी होने के पश्चात द्वितीय एकवर्षीय अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान करते हुए एक सप्ताह के अंदर योगदान करने का निदेश दिया जाता है ।

2. निवर्तमान लोकपाल को उनके योगदान की तिथि से अवधि विस्तार प्रभावी होगा । इनके योगदान की तिथि से ही संबंधित जिला में अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्यरत लोकपाल का कार्यभार स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

3. प्रस्ताव एवं प्रारूप में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

(प्रमोद कुमार राम)

सरकार के अवर सचिव

जापांक 369/808

पटना, दिनांक 11/02/2025

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव

जापांक 369/808

पटना, दिनांक 11/02/2025

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी / उप विकास आयुक्त, नवादा एवं गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव

जापांक 369/808

पटना, दिनांक 11/02/2025

प्रतिलिपि:- श्री राजीव नयन (missionkayakalp@gmail.com), निवर्तमान लोकपाल, नवादा / श्री मिथिलेश यादव लोकपाल, गया-सह-अतिरिक्त प्रभार, लोकपाल, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव

जापांक 369/808

पटना, दिनांक 11/02/2025

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के आप्त सचिव / संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BRDS / आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव